2006:CGHC:5828

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका संख्या–1093/2002

याचिकाकर्ता **कु. प्रेमलता भार्गव**

बनाम

उत्तरवादी **उपदान संदाय अधिधनयम, 1972 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी और अन्य**

श्री एन. के. व्यास – याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री नीरज चौबे – उत्तरवादी संख्या 3 के अधिवक्ता।

श्री सुनील ओटवानी – उत्तरवादी संख्या 4 के लिए पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(27 मार्च, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति **सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया।

1. याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर वर्तमान याचिका में, अपीलीय प्राधिकारी अर्थात उप श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1972) के अंतर्गत अपील प्रकरण क्रमांक 2/पी.जी.ए./01 में पारित दिनांक 28.2.2002 के आदेश के विरुद्ध उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट के आह्वान की मांग की गई है।

2. संक्षेप में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी संख्या 3 स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। स्वीकृत रूप से, उक्त स्कूल पूरी तरह से सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान था। याचिकाकर्ता 30 जून, 1998 को अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

3. याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत उपदान का संदाय करने से प्रत्याख्यान किया गया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उपदान संदाय अधिनियम, जिला–बिलासपुर के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया। प्राधिकारी ने दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 3.1.2001 (अनुलग्नक पी/IV) द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा उत्तरवादियों को उपदान संदाय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपदान का संदाय करने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इससे व्यथित होकर, उत्तरवादी संख्या 3 ने अधिनियम, 1972 की धारा 7(7) के अंतर्गत अपील प्रकरण संख्या 2/पीजीए/01 के रूप में अपीलीय प्राधिकारी अर्थात उप श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के समक्ष अपील दायर किया। विद्वान प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.2.2002 (अनुलग्नक पी/।) द्वारा उत्तरवादियों की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षक है, अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान का हकदार नहीं है।

5. इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता–शिक्षक ने यह रिट याचिका दायर की है जिसमें अपील प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.2.2002 के आदेश को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एन. के. व्यास ने **अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन बनाम प्रशासनिक अधिकारी व अन्य** (2004) 1 एससीसी 755 और आगे **राजस्थान वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य** {(2005) (5) एस.सी.सी 275) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 16 और राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता, अनुदान एवं सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 82 के अंतर्गत सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को उपदान का लाभ दिया गया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा 1.8.2005 को डब्ल्यू.पी.सं. 2062/2004 (प्रशासक, लाधिडी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिरमिरी एवं अन्य बनाम श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी एवं अन्य) में पारित निर्णय का अवलंब लिया है । उस मामले के तथ्य भिन्न हैं, क्योंकि उस मामले में प्राचार्य को उपदान का संदाय अंतर्ग्रस्त था और इस न्यायालय ने धारित किया है कि प्राचार्य को अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए शिक्षक नहीं माना जाएगा, इसलिए उन्हें अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए कर्मचारी समझा जाएगा।

8. वर्तमान मामले में, विधि का प्रश्न यह है कि क्या कोई शिक्षक अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत उपदान के संदाय का हकदार है और विधि के इसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने **अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन** (पूर्वोक्त) में विचार किया था तथा निम्न प्रकार से निर्णय दिया था:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"24. यह प्रतिविरोध को जारी रखते हुए कि शिक्षकों को "अकुशल" या "कुशल" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत माना जाना चाहिए, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों को अध्यापन के लिए प्रशिक्षण दिया गया हो सकता है या ऐसे मामले हो सकते हैं जहां प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक को औद्योगिक क्षेत्र या सेवा विधिशास्त्र में "कुशल कर्मचारी" के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इस तरह के विशेषण का उपयोग आम तौर पर शारीरिक कार्य या तकनीकी कार्य करने वाले कर्मचारी के लिए किया जाता है। इसी तरह, "अर्ध–कुशल" और "अकुशल" शब्दों को शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी की प्रकृति का वर्णन करने के रूप में नहीं समझा जाता है। हम इस सवाल पर दिए गए तर्कों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं कि क्या "कुशल", "अर्ध–कुशल" और "अकुशल" शब्द योग्यता रखते हैं। "शारीरिक", "पर्यवेक्षी", "तकनीकी" या "लिपिकीय" या उपरोक्त शब्द "कार्य" शब्द को अर्हित बनाते हैं। यद्यपि सभी शब्दों को पृथक–पृथक रीति से या किसी अन्य रीति से पढ़ा जाए, प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक परिभाषा खंड में दिए गए विभिन्न नियोजन की प्रकृति के किसी भी विवरण का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देते हैं। प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित शिक्षक "कुशल", "अर्ध–

कुशल", "अकुशल", "शारीरिक", "पर्यवेक्षी", "तकनीकी" या "लिपिकीय" कर्मचारी नहीं हैं। वे "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक" क्षमता में भी नियोजित नहीं हैं। कदाचित, ही वे शिक्षण के साथ अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में कुछ प्रशासनिक कार्य करते हों, क्योंकि उनका मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना है, उन्हें "प्रबंधकीय" या "प्रशासनिक क्षमता" में नियोजित नहीं माना जा सकता है। शिक्षकों को स्पष्ट रूप से "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आच्छादित नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 26 में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को उपदान का लाभ प्रदान करने के लिए पृथक से कानून, नियम और विनियम विरचित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रदान किए गए उपदान फायदों से कम या ज्यादा फायदाप्रद हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता एक शिक्षक होने के कारण उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपदान का हकदार नहीं है और राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून, नियम या विनियमन नहीं बनाया है, जो उपदान के संदाय का प्रावधान करता हो। **राजस्थान राज्य कल्याण सोसायटी** (पूर्वोक्त) का प्रकरण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उस मामले में राजस्थान राज्य ने राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 और राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षणिक संस्थान (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को उपदान प्रदान करने के लिए उपबंधित किया गया है ।.

10. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मेरी राय है कि **अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता जो एक शिक्षक है, अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान के अनुदान का हकदार नहीं है। तथापि, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस संबंध में

शिक्षकों के लिए एक पृथक विधि बनाने के लिए **अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन** (पूर्वोक्त) में पारित निर्णय के कण्डिका 26 में की गई सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करे।

11. उपरोक्त कारणों से याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /–
सतीश क. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore